दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

ज़मानत अर्ज़ी 143/2021

निर्णय की तिथि: 23 फरवरी, 2021

के मामले में:

अमन अब्बास ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एफ.ए. बनिसरेल, अधिवक्ता

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: एस.पी.पी श्री सलीम अहमद
के साथ उप.नि. अमित कुमार
थाना न्यू उस्मानपुर

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक आवेदन है जिसमें आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 और भारतीय दंड सहित (भा.द.स) की धारा 147, 148, 149,188,307 और 427 के तहत अपराधों के लिए थाना न्यू उस्मानपुर. दिल्ली में दर्ज़ प्राथमिकी सं. 87/2020, दिनांक 25.02.2020 में नियमित ज़मानत की माँग की गई|
2. प्राथमिकी के अवलोकन से पता चलता है कि 25.02.2020 को एक सूचना मिली थी कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित व्यक्ति इस क्षेत्र में

एकत्रित हुए हैं और दंगा कर रहे हैं और उनमें से कुछ हथियारों से लैस हैं और गोलियाँ बरसा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। साक्षीगण का पता लगाया गया और आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 और भारतीय दंड संहिता (भा.द.स) की धारा 147, 148, 149, 188, 307 और 427 के तहत प्राथमिकी सं. 87/2020 दर्ज की गई। याचिकाकर्ता को 02.05.2020 को गिरफ्तार किया गया था।

3. याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय से ज़मानत की माँग की लेकिन उसे दिनांक 26.08.2020 के आदेश द्वारा नामंज़ूर कर दिया गया। सह-अभियुक्त मो. नईम को इस न्यायालय द्वारा 18.09.2020 को ज़मानत दी गई थी। मो. नईम के मामले के साथ समानता का दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने एक बार फिर से ज़मानत अर्ज़ी देकर सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसको 20.10.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया| इसलिए याचिकाकर्ता ने तत्काल ज़मानत अर्ज़ी दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।
4. इस न्यायालय ने 14.01.2021 को नोटिस जारी किया और राज्य को स्थिति आख्या दायर करने का निर्देश दिया। स्थिति आख्या दायर की गई है। स्थिति आख्या यह दर्शाती है कि सम्पूर्ण वारदात सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद की गई थी और सी.सी.टी.वी. फुटेज के

आधार पर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। स्थिति आख्या यह बताती है कि याचिकाकर्ता को पीड़ित भवे गौतम और आरक्षी अनुज द्वारा पहचाना गया था| स्थिती आख्या यह बताती है कि वारदात के समय याचिकाकर्ता के हाथ में डंडा था। स्थिति आख्या में यह बताया गया कि डंडे को याचिकाकर्ता के बताने पर बरामद किया गया। आरोप पत्र को 09.06.2020 को दायर किया गया।

5. याचिकाकर्ता के लिए पेश हो रहे फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री एफ.ए. बनिसरेल और राज्य के लिए पेश हो रहे फ़ाज़िल वि.लो.अभि. श्री सलीम अहमद को सुना गया।

6. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री एफ.ए. बनिसरेल ने कहा कि याचिकाकर्ता 02.05.2020 से हिरासत में है, आरोप पत्र दायर किया गया है और विचारण भी शुरू नहीं हुआ है। वह आगे बताते हैं कि याचिकाकर्ता का मामला मो. नईम के मामले के समान है जिसे ज़मानत अर्ज़ी सं. 2732/2020 में इस न्यायालय द्वारा ज़मानत दी गई है। याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद किया गया कि मो. नईम के मामले में उनके हाथ में एक पत्थर देखा गया था और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के हाथ में डंडा था।

7. दूसरी ओर, राज्य के फ़ाज़िल वि.लो.अभि. श्री सलीम अहमद ने बताया कि यदि याचिकाकर्ता को ज़मानत दी जाती है तो वह उसी तरह के अपराध में शामिल हो जाएगा और शांति व्यवस्था को भंग करेगा और सह-आरोपी व्यक्तियों के फरार होने में मदद करेगा।

उन्होंनें प्रतिवाद किया कि याचिकाकर्ता ने एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के कारण दंगे में सक्रिय रूप से भाग लिया है| यह प्रतिवाद किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर ज़मानत दी जाती है तो वह समाज को प्रतिकूल संदेश देगा|

8. याचिकाकर्ता 02.05.2020 से हिरासत में है। आरोप पत्र दायर किया गया है। निकट भविष्य में विचारण शुरू करने और समापन की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में कुछ आरोपियों के बारे में जाँच चल रही है और कुछ आरोपी फरार हैं। याचिकाकर्ता का मामला मो. नईम के मामले के समान है, उस मामले में मो. नईम के हाथ में एक पत्थर था और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के पास डंडा था। इस मुकदमे में विचारण में पर्याप्त समय लगेगा। यह भी विवादित नहीं है कि इसमें प्रति प्राथमिकियाँ दर्ज हैं।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 02.05.2020 से हिरासत में है और मामले की सुनवाई में पर्याप्त समय लगेगा यह न्यायालय याचिकाकर्ता को ज़मानत देने के लिए इच्छुक है। किसी अन्य मामले में ज़रूरत न होने पर, याचिकाकर्ता द्वारा 25,000/- रुपये की राशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर और याचिकाकर्ता के एक रिश्तेदार द्वारा उसी समान राशि का एक प्रतिभू विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर देने पर, याचिकाकर्ता को तुरंत ज़मानत पर रिहा होने का निर्देश दिया जाता है|

10. याचिकाकर्ता को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या किसी भी तरह की गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप समाज में शांति भंग होने की संभावना है।
11. तदनुसार याचिका को मंज़ूर किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है।
12. इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक और विचारण न्यायालय को सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित की जानी चाहिए।

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

23 फरवरी, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*